

From No. III

फर्द अहकाम
(नियम - 26)

अज अदालत इपरवठे अधिकारी (मुकाम) भारवाड अम्बराठ
 चौध कैवळ शिवाजी वरदाखिंत राजपूत बनाम बलमन कैवळ शिवाजी मंकराखिंत
 किस्म मुकदमा 212 R.A.O नं. 1955-551204 सन् 1957

तारीख हुक्मा	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म का तामिल में जारी हुए।
1/8/18	<p>प्राचीया के कमील श्री कजीराखिंत एडो के आर्जन-कर प्राप्त कर अरहस मौजा चौकडिया के वयन नं 907 909, 910 वरुण वरुण 7.2112 हें खातेदार केतुक फार्म श्राम स्थित है। उमर केतुक फार्म श्राम प्राचीया 'दादा जी की फार्मारी में दर्ज थी। तथा प्राचीया के पिता एच. श्री वरदाखिंत शिवाजी पुत्री है। प्राचीया के दादाजी के तीन लड़कों में से प्रथम श्री शिवनाथाखिंत एवं मोपालाखिंत लाभालाड फार्म लेखे हैं, तथा प्राचीया के पिता के देहान्त होने पर इनके आपदा भाई श्री मंकराखिंत के करले के नाम को लेखी म्यूचुअल गट दिया गया। तथा प्राचीया के भाई एच. श्री मंकराखिंत का देहान्त होने पर उनकी धारण की गयी वरुण वरुण के नाम उमर केतुक सम्पत्ति दर्ज कर दी, जिससे प्राचीया के घने हें एतुक से महकम ले जाई।</p>	

तारीख
हुक्मा

हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर या तारीख
अहकाम जो इस हुक्म
का तामिल में जारी हुए।

कोत लेने पर उक्त सम्पत्ति बेचने पर कामदा है। तथा उद्योगों का समझा जाने पर कर्णधारों को नहीं मानी। तथा उक्त पैतृक सम्पत्ति को हस्तांतरण, बेचान करने पर कामदा है और यदि कर्णधारों को उक्त कर्णधार कृत करने में सफल हो जाते हैं तो उद्योगों को कर्णधारों को हक हक से महकम लेना पड़ेगा जिससे उद्योगों को कर्णधारों को आने होगी जिसका मूल्यवान में कर्णधारों में नहीं आने जावेगा। तथा अपना कर्णधार मुकदमों को लगेगी। मुकदमा व संतुलन की उद्योगों के पक्ष में है। इसलिए कर्णधारों को उक्त पैतृक सम्पत्ति को बेचान हस्तांतरण नहीं करने बाबत कर्णधारों को निर्दिष्ट है। उक्त कार्यवाही किया जावेगा कि निर्दिष्ट किया जावेगा। हमने उद्योगों के उद्योगों पर मय शपथपत्र का कर्णधारों को किया, कर्णधारों को उद्योगों को सुना गया। तथा उद्योगों को उद्योगों पर हकीकर योग्य लेने से हकीकर किया जाकर उद्योगों को कर्णधारों को कर्णधारों को निर्दिष्ट है। सरहद में आयेगी उद्योगों के कर्णधारों को पैतृक कर्णधारों को उद्योगों को 907, 909, 910, कुल रकम 7.2112 है। में से उद्योगों के हिले को मिलाने हुए बेचान, हस्तांतरण, या रकम उद्योगों

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर या तारीख
अहकाम जो इस हुक्म
का तामिल में जारी हुए।

न तो स्वयं आगामी तारीख पैसी
कर करें न ही किन्तु किसी एक
शब्द से करकोट रथा राजको रिकार्ड
एवं मौजे की ब्यथास्थिति बनाये रखेंगे।
वकील आर्थात् 0-38-1-1-2 की
पालना करें। प्रकरण दर्ज राई स्ट्र
रिफा जाकर कोपरा दिनांक 29/8/17
को पेश हो।


विनोद शर्मा
उपखण्ड अधिकारी
मारवाड़ जंक्शन

29/8/17

पत्रावली पेश हुई
आज पीठासीन अधिकारी महोदय,
अन्य कार्य से व्यस्त है/अनप पर है/
बेठक में पधारें हुए है/अवकाश पर है
अतः पत्रावली आगामी
दिनांक 24/11/17 को पेश हो।


रिडर
उप खण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट
मारवाड़ जंक्शन

24/17

~~पत्रावली आज पेश हुई/कठुकाप उपखण्ड/
पत्रावली करते जवाब व बहस कोपरा
रिफ 13/11/18 को पेश हो।~~


रिडर

25/18

~~पत्रावली आज पेश हुई/कठुकाप
उपखण्ड/पत्रावली करते जवाब व बहस
कोपरा रिफ 17/11/18 को पेश हो।~~


रिडर

तारीख हुक्मा	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हु का तामिल में जारी
<p>21/8/18</p>	<p> पञ्जाब की आज सम्पन्न कर के कदालत ग्याप कोर्ट के डर - 2018 8 हुक्म के अन्त सेवा के अन्त में प्रेषित है। पञ्जाब की कोर्ट के अन्त में प्रेषित है। देशों पर देशों को अन्त में प्रेषित है। दिनांक 1/8/18 को अन्त में प्रेषित है। मूल कोर्ट 'कनकम' विधि अन्त में पञ्जाब की मूल कोर्ट के साथ नष्टी स्टे/ निर्णय मेजमा काम में सुनाया गया। </p> <p style="text-align: center;">8/10 mo</p>	